

कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ-ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग. 492002

क्रमांक / 8790 / छात्र / काउंसिलिंग / संचिशि / 2025

रायपुर, दिनांक 12/11/2025

प्रवेश वर्ष – 2025 छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा स्नातकोत्तर (MD/MS) पाठ्यक्रम की राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन की सूचना

प्रवेश वर्ष – 2025 छत्तीसगढ़ के राज्य कोटे की चिकित्सा स्नातकोत्तर (MD/MS) सीटों पर प्रवेश के लिये राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित NEET-PG-2025 द्वारा घोषित पात्र अभ्यर्थियों से निम्न समय-सारणी के अनुसार ऑनलाईन आवेदन शुल्क सहित आमंत्रित है। (आवेदन के पूर्व लागू छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2025 एवं छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश विवरणिका 2025 का अवलोकन अवश्य करें) : –

क्र.	प्रक्रिया का विवरण	विवरण
1	ऑनलाईन आवेदन शुल्क (Non Refundable)	1. सभी श्रेणीयों के लिए राशि रु. 2,000/- (रु. दो हजार मात्र) 2. अप्रवासी भारतीय नियतांश (NRI) हेतु रु. 10000/- (रु. दस हजार मात्र)
2	* पंजीयन राशि (सुरक्षा निधि राशि - Security Deposit Money)	देखें पंजीयन राशि तालिका
3	ऑनलाईन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि एवं अंतिम तिथि	दिनांक 13 नवम्बर 2025 समय (Server Time) 11.00 Hrs. (11:00 AM) से दिनांक 18 नवम्बर 2025 समय (Server Time) 23.59 Hrs. (11:59 PM) तक
4	च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग (Choice Filling and Locking)	समय-सारिणी पृथक से वेबसाइट पर जारी की जावेगी।

छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2025 एवं छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश विवरणिका 2025 संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट www.cgdmme.in एवं एनआईसी की वेबसाइट <https://cgdmme.admissions.nic.in/> पर उपलब्ध है, काउंसिलिंग, आबंटन एवं प्रवेश संबंधित जानकारी हेतु वेबसाइट का नियमित अवलोकन वांछनीय है।

* पंजीयन राशि (सुरक्षा निधि राशि) :-

यह राशि वापसी योग्य (Refundable) है, किन्तु द्वितीय काउंसिलिंग में पी.जी. सीट आबंटन उपरान्त प्रवेश नहीं लेते हैं अथवा प्रवेश लेकर सीट त्यागते हैं तो, यह राशि राजसात (Forfeit) कर ली जायेगी।

पंजीयन राशि (सुरक्षा निधि राशि)		
श्रेणी	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की सीटों हेतु पंजीयन राशि (सुरक्षा निधि राशि)	निजी महाविद्यालय अथवा निजी महाविद्यालय + शासकीय महाविद्यालय हेतु पंजीयन राशि (सुरक्षा निधि राशि)
UR	25,000/- (रु. पच्चीस हजार मात्र)	2,00,000/- (रु. दो लाख मात्र)
SC/ST/OBC	12,500/- (रु. बाहर हजार पांच सौ मात्र)	2,00,000/- (रु. दो लाख मात्र)

Che

नोट :-

1. छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2025 एवं छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश विवरणिका 2025 का अवलोकन करें।
2. यदि ऑन-लाईन आवेदन पूर्ण करने के बाद Lock & Submit भी कर चुके हैं, तब भी ऑनलाईन आवेदन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन हेतु निशुल्क Edit करने की सुविधा आवेदन की अंतिम तिथि तक उपलब्ध रहेगी।
3. ऑनलाईन आवेदन में कोई भी त्रुटि (जैसे :- अपूर्ण आवेदन/पंजीयन फीस का गेटवे (Bank Gateway) से जमा न होना इत्यादि) होने पर आप अपात्र हो जाते हैं। अतः ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि से 24 घण्टे पूर्व कार्यवाही पूर्ण करना, एक सुरक्षित प्रक्रिया है।
4. शुल्क जमा हेतु Internet Banking / Debit Cards & Credit Card, Options are available, उपलब्ध है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन शुल्क और पंजीकरण राशि (सुरक्षा निधि राशि) का भुगतान उम्मीदवारों के स्वयं के बैंक खाते या उनके माता-पिता/अभिभावक के बैंक खाते के माध्यम से करें। साथ ही, किसी भी आकस्मिक स्थिति के मामले में उन्हें एक वैकल्पिक बैंक खाता नंबर भी उपलब्ध कराना होगा। यदि अभ्यर्थी नियमानुसार रिफण्ड के लिए पात्र हैं, तो उस जमाकर्ता खाते में ही पंजीयन राशि (सुरक्षा निधि राशि) का रिफण्ड किया जायेगा, जिस खाते से अभ्यर्थी द्वारा पंजीयन शुल्क का भुगतान किया गया है।
प्राथमिक बैंक खाते के साथ-साथ वैकल्पिक बैंक खाते को भी सक्रिय मोड में रखने की सलाह दी जाती है। यदि किसी अपरिहार्य एवं तकनीकी कारणों से प्राथमिक बैंक खाते में रिफण्ड नहीं होता है, तो पंजीकरण पोर्टल पर उम्मीदवार द्वारा उपलब्ध कराए गए वैकल्पिक सक्रिय बैंक खाते में रिफण्ड किया जाएगा।
5. ऑनलाईन आवेदन के दौरान, सेवारत् अभ्यर्थियों के लिए सेवा प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
6. यदि प्रथम चरण काउंसिलिंग के बाद किसी भी चरण में अभ्यर्थियों को शासकीय या निजी चिकित्सा महाविद्यालय में सीट आवंटित होती है, और वे उस सीट पर प्रवेश नहीं लेते हैं या प्रवेश लेकर सीट त्याग देते हैं, तो उनकी जमा की गई पंजीयन शुल्क (सुरक्षा निधि राशि) राजसात (Forfeit) हो जाएगी।
7. काउंसिलिंग की समस्त प्रक्रिया (पंजीयन राशि भुगतान, संस्था तथा विषय चयन, च्वाइस लॉकिंग, बोनस प्रतिशत इत्यादि) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं किया जाता है, इसलिए अपूर्ण अथवा गलत जानकारी प्रदाय करने की स्थिति में अगर अभ्यर्थी का पंजीयन अथवा आबंटन निरस्त किया जाता है, तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी केवल अभ्यर्थी की होगी एवं यह कार्यालय अथवा काउंसिलिंग समिति किसी भी तरह से जिम्मेदारी नहीं होगी।

(आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित)


अध्यक्ष, 12/11/2025

चिकित्सा स्नातकोत्तर काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग.



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 848]

नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 नवम्बर 2025 — कार्तिक 16, शक 1947

चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 6 नवम्बर 2025

अधिसूचना

क्रमांक RULE-801/205/2025-MED. - छत्तीसगढ़ चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश अधिनियम, 2002 (क्र. 28 सन् 2002) की धारा-3 सहपठित धारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :-

- (एक) ये नियम छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2025 कहलायेंगे।
- (दो) ये नियम राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- (तीन) यह नियम अल्पसंख्यक चिकित्सा महाविद्यालय को छोड़कर छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य सभी चिकित्सा महाविद्यालय में लागू होंगे।

2. परिभाषायें — इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

- (क) “परीक्षा अभिकरण (एजेंसी)” अथवा “अभिकरण (एजेंसी)” से अभिप्रेत है, केन्द्र सरकार द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित करने हेतु अधिकृत अभिकरण (एजेंसी);
- (ख) “श्रेणी” से अभिप्रेत है, अनुसूचित जाति श्रेणी, अनुसूचित जनजाति श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैरक्रीमीलेयर) श्रेणी तथा अनारक्षित श्रेणी;
- (ग) “संवर्ग” से अभिप्रेत है, महिला संवर्ग या निःशक्तजन संवर्ग;
- (घ) “महाविद्यालय” से अभिप्रेत है, चिकित्सा महाविद्यालय;
- (ङ) “आयोग” से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (छडब), नई दिल्ली;
- (च) “पाठ्यक्रम” से अभिप्रेत है, स्नातकोत्तर डिग्री;
- (छ) “संचालक” से अभिप्रेत है, संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन;
- (ज) “संचालनालय” से अभिप्रेत है, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन;
- (झ) “प्रवेश परीक्षा” से अभिप्रेत है, अभिकरण (एजेंसी) द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा;
- (ञ) “सेवारत अभ्यर्थी” से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य शासन के अधीन सेवारत ऐसे चिकित्सक जिन्होंने नीट पीजी परीक्षा तिथि तक नियमित सेवा अथवा तदर्थ सेवा अथवा संविदा सेवा के तीन वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली हो;
- (ट) “बिना संवर्ग” से अभिप्रेत है, ऐसा अभ्यर्थी जो नियम-2 के उप-नियम (ग) में परिभाषित किसी भी संवर्ग के अंतर्गत ना आता हो;
- (ठ) “निःशक्तजन” से अभिप्रेत है, ऐसा निःशक्तजन/दिव्यांगजन, जैसा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 एवं राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) के तत्समय लागू पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एज्युकेशन रेगुलेशनस् के अनुसार दिव्यांगजन/निःशक्तजन के रूप में आरक्षण का पात्र हो;
- (ड) “राज्य शासन” से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;
- (ढ) “विश्वविद्यालय” से अभिप्रेत है, पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़;
- (ण) “अभ्यर्थी” से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसने इन नियमों के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन किया हो;

- (त) "दस्तावेज" से अभिप्रेत है, मूल दस्तावेज;
- (थ) "अप्रवासी भारतीय (एन.आर.आई.)" से अभिप्रेत है,, जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी विधियों/नियमों/ अधिसूचनाओं/आदेशों में परिभाषित/घोषित किया गया हो;
- (द) "अप्रवासी भारतीय (एन.आर.आई.) नियतांश" से अभिप्रेत है,, निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में अप्रवासी भारतीयों के प्रवेश हेतु निर्धारित 15 प्रतिशत सीटें;
- (ध) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों से अभिप्रेत है, ऐसा अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-13-5/2019/आ.प्र./1-3 अटल नगर, रायपुर दिनांक 29/05/2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए प्रवेश वर्ष के 31 मार्च के आय गणना के पश्चात् जारी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र धारित करता हो।

3. प्रवेश हेतु पात्रता :-

- (क) भारत का नागरिक हो,
- (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अथवा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से अनुमति प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त हो या ऐसा अभ्यर्थी जिन्होंने विदेश से चिकित्सा स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो तथा स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन, 2002 परीक्षा विदेश स्नातक परीक्षा में पात्र हो,
- (ग) केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार प्रवेश वर्ष के दिनांक तक इंटर्नशिप पूर्ण की हो,
- (घ) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग या राज्य आयुर्विज्ञान परिषद में पंजीकृत हो,
- (ङ.) प्रवेश परीक्षा में केन्द्र सरकार/केन्द्र सरकार अधिकृत अभिकरण (एजेंसी) या विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त किये हों।

4. अप्रवासी भारतीय नियतांश हेतु पात्रता एवं विषय निर्धारण की अतिरिक्त शर्तें:-

- (क) 1. अभ्यर्थी स्वयं अप्रवासी भारतीय हो अथवा अभ्यर्थी की पीढ़ी अथवा दो पीढ़ी पहले तक के रक्त संबंध रखने वाले अप्रवासी भारतीय द्वारा प्रायोजित किया जाये।
स्पष्टीकरण :- अप्रवासी भारतीय प्रायोजक का अभ्यर्थी से पीढ़ी अथवा दो पीढ़ी के रक्त संबंध जैसे:-पिता, माता, भाई, बहन, भाई बहन की संतान, चाचा, चाचा की संतान, मामा, मामा की संतान, मौसी, मौसी की संतान, बुआ, बुआ की संतान, नाना, नानी, दादा, दादी। इस हेतु वंशावली वृक्ष प्रमाण पत्र जो कि तहसीलदार अथवा तहसीलदार से वरिष्ठ राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, प्रस्तुत करना होगा।

- 2. OCI (Overseas citizen of India)के अभ्यर्थी भी सामान्य श्रेणी की NRI सीटों के लिए पात्र होंगे। (माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा W.P.C. 891 of 2021 dated 03-02-2023 में दिये गये निर्देशों के अनुसार)

(ख) अप्रवासी भारतीय नियतांश के लाभ हेतु आवश्यक दस्तावेज :-

- 1. विदेश में निवास का प्रमाण हेतु वहाँ का ग्रीन कार्ड/कॉपी ऑफ पासपोर्ट वैध वीसा सहित/नागरिकता संबंधित सक्षम दस्तावेज/181 दिन अथवा अधिक का कार्य प्रमाण हेतु दस्तावेज/अन्य कोई सक्षम दस्तावेज जो इस बिन्दु की पूर्ति करता हो।
- 2. एन.आर.ई./एन.आर.आई./समकक्ष बैंक एकाउण्ट की स्टेटमेंट कॉपी।
- 3. प्रायोजक की आय, सम्बंधित पाठ्यक्रम के शुल्क देने योग्य हो तथा शुल्क का भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जाना होगा एवं प्रवेश के समय इसकी रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

- (ग) अप्रवासी भारतीय नियतांश में प्रवेश की अंतिम तिथि :— प्रत्येक निजी चिकित्सा महाविद्यालय, प्रवेश की अंतिम तिथि के 10 दिन के पूर्व अप्रवासी भारतीय नियतांश में अभ्यर्थियों को प्रवेश देगा, जो कि अप्रवासी भारतीय नियतांश की अंतिम तिथि होगी।
- (घ) अप्रवासी भारतीय नियतांश की विषयवार सीटों का आरक्षण—किसी भी निजी चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अंतर्गत अप्रवासी भारतीय नियतांश हेतु सीटों का आरक्षण 2017 में प्रकाशित नियम अनुसार कुल स्वीकृत सीटों का 15 प्रतिशत अप्रवासी भारतीय नियतांश के लिए आरक्षित किया जा सकता है। इस आरक्षण को लागू करते समय किसी भी स्नातकोत्तर विषय में कुल स्वीकृत सीटों का 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण अप्रवासी भारतीय नियतांश में नहीं किया जा सकेगा। सीटों की गणना दशमलव में होने की स्थिति में दशमलव के मान को छोड़कर केवल पूर्णांक ही मान्य होगा। विषयवार सीटों का निर्धारण संबंधित निजी चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा किया जा सकेगा, परंतु उपर्युक्त सीमा का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी विषय की सीटों के वितरण हेतु निजी चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा काउंसिलिंग प्रारंभ होने के 15 दिन पूर्व आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा।

उदाहरण :—

1. जैसे यदि किसी महाविद्यालय में जनरल मेडिसीन विषय में कुल 04 सीटें स्वीकृत हैं तो वे अधिकतम 02 सीटों को ही अप्रवासी भारतीय नियतांश हेतु आरक्षित कर सकेंगे।
 2. जैसे यदि किसी महाविद्यालय में जनरल मेडिसीन विषय में कुल 03 सीटें स्वीकृत हैं, तो वे अधिकतम 01 सीटों को ही अप्रवासी भारतीय नियतांश हेतु आरक्षित कर सकेंगे।
5. प्रवेश हेतु अपात्रता :—
- (एक) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने पूर्व में अखिल भारतीय/राज्य कोटे से प्रवेश उपरान्त सीट का परित्याग किया हो या अभ्यर्थी को निष्कासित किया गया हो तो, ऐसे अभ्यर्थी परित्याग/निष्कासन की तिथि से डिग्री हेतु आगामी 03 वर्ष तक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अपात्र होंगे।
 - (दो) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया है, उनके द्वारा पूर्ण किये गये पाठ्यक्रम के पश्चात् पाठ्यक्रम पूर्ण करने की दिनांक से आगामी 03 वर्ष तक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अपात्र होंगे।
 - (तीन) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने अखिल भारतीय कोटे से पिछले तीन वर्षों में राज्य के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है वे राज्य कोटे की सीटों हेतु अपात्र होंगे।
 - (चार) छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत एमबीबीएस पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात अनिवार्य शासकीय सेवा हेतु निष्पादित बंधपत्र छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आयुक्त का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना करने वाले अभ्यर्थी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अपात्र होंगे।
6. सीटों का आरक्षण :
- (एक) अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिये 30%, विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति श्रेणी हेतु 02%, अनुसूचित जाति श्रेणी के लिये 12% तथा अन्य पिछड़ा वर्ग गैरक्रीमीलेयर श्रेणी के लिये 14% आरक्षण होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 - (दो) प्रत्येक श्रेणी में महिला संवर्ग हेतु 30% क्षैतिज आरक्षण होगा।

- (तीन) प्रत्येक श्रेणी में निःशक्तजन संवर्ग हेतु 5% क्षैतिज आरक्षण होगा। इसहेतुअभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रवेश वर्ष में जारी दिव्यांग/निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (चार) यदि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा अतिरिक्त सीटें सृजित की जाती है, तो कुल सीटों में संस्थावार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण होगा।
- (पांच) प्रवेश वर्ष में उपलब्ध सीटों को उपरोक्तानुसार आरक्षण के आधार पर महाविद्यालय एवं विषयवार आवंटित किया जायेगा।

7. आरक्षित श्रेणी की रिक्त रह गई सीटों का अन्यश्रेणी में परिवर्तन :-

- (एक) विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटों के लिए पर्याप्त संख्या में पात्र अभ्यर्थीना मिलने पर, उन सीटों पर अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा।
- (दो) किसी भी आरक्षित श्रेणी की शेष रह गई सीटों के लिये उस श्रेणी के अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की दशा में, छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2012 (क्र.9 सन् 2012) के प्रावधानों के अनुसार श्रेणी परिवर्तन किया जायेगा।
- (तीन) ई.डब्ल्यू.एस श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो, रिक्त सीटों को उपरोक्त अनुसार अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तित किया जायेगा।

8. आरक्षित श्रेणी के संवर्ग की रिक्त सीटों का परिवर्तन :-आरक्षित संवर्ग की रिक्त सीटों को उसी श्रेणी के बिना संवर्ग में परिवर्तित किया जायेगा।

9. सेवारत अभ्यर्थी को निम्नानुसार बोनस अंक दिये जायेंगे :-

- (क) छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित दुर्गम अनुसूचित क्षेत्रमें सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांक के 10 प्रतिशत अंक होगा।
- (ख) छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित सामान्य अनुसूचित क्षेत्र में सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष हेतु प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांक के 03 प्रतिशत अंक होगा।
- (ग) अधिकतम प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांक के 30 प्रतिशत अंक होंगे।
- (घ) किसी वर्ष की सेवा उपरोक्त (क) एवं (ख) में चिन्हित क्षेत्रों में संयुक्त रूप से पूर्ण होने की दशा में, उस वर्ष को सामान्य अनुसूचित क्षेत्र में सेवा का वर्ष मानकर बोनस अंक की गणना की जायेगी।

10. प्रावीण्य सूची :-प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों में नियम (9) के अन्तर्गत प्राप्त बोनस अंकों को जोड़कर प्रावीण्य सूची बनायी जायेगी।

11. प्रवेश में वरीयता :-

- (क) राज्य कोटे में उपलब्ध सीटों पर सर्वप्रथम उन अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा, जिन्होंने या तो पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ से संबद्ध चिकित्सा चिकित्सा महाविद्यालय से एमबीबीएस डिग्री प्राप्त की हो अथवा जो सेवारत अभ्यर्थी हो।
- (ख) उपरोक्त उप-नियम (क) में उल्लिखित सभी पात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश दिये जाने के उपरान्त यदि सीटें रिक्त रह जाती हैं, तो इन रिक्त सीटों पर, ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा, जिन्होंने नियम 11 (क) में उल्लेखित के अतिरिक्त किसीअन्य चिकित्सा महाविद्यालय से एमबीबीएस डिग्री प्राप्त की हो।

12. छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालय में उपलब्ध सीटों पर प्रवेश छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा निर्धारित काउंसिलिंग प्रक्रिया के माध्यम से दिया जायेगा, पूरी काउंसिलिंग प्रक्रिया में

यदि किसी अभ्यर्थी को कोई विषय एवं संस्था एक बार आवंटित हो चुका है, तो उसे आगामी किसी भी चरण में पुनः वही विषय एवं संस्था आवंटित नहीं किया जाएगा।

13. शुल्क:—नियम (12) के तहत काउंसिलिंग प्रक्रिया में केवल वे अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया हो।

14. प्रवेश :-

(क) ऑनलाईन प्रक्रिया चार चरणों में संपन्न की जाएगी प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ। सीटें रिक्त रह जाने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि से पूर्व चरणों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी। काउंसिलिंग के सभी चरण ऑनलाईन होंगे। प्रत्येक चरण में पंजीयन की सुविधा होगी। काउंसिलिंग के प्रथम चरण से प्रवेशित अभ्यर्थियों हेतु द्वितीय चरण एवं तृतीय चरण में अपग्रेडेशन का विकल्प उपलब्ध होगा। प्रथम चरण के उपरांत आगामी सभी चरणों में आवंटन उपरांत प्रवेश नहीं लेने अथवा प्रवेश लेकर सीट त्याग करने पर पंजीयन राशि राजसात की जायेगी। काउंसिलिंग की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा प्रत्येक वर्ष आवेदन की प्रथम सूचना के साथ विवरणिका में प्रकाशित किया जायेगा एवं जिसको आगामी वर्षों में NMC, MCC एवं केन्द्र/राज्य शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश अनुसार संशोधित किया जा सकेगा।

(ख) प्रवेश के पूर्व अभ्यर्थी को संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश पात्रता से संबंधित समस्तमूल दस्तावेजों की स्कूटनी करानी होगी। स्कूटनी ना कराने की स्थिति अथवा स्कूटनी में अपात्र होने पर अथवा निर्धारित तिथि तक फीस जमा कर प्रवेश नहीं लेने पर, अभ्यर्थी, प्रवेश परीक्षा वर्ष में प्रवेश हेतु अपात्र हो जायेगा।

15. छत्तीसगढ़ राज्य के अन्तर्गत सेवा की अनिवार्यता एवं सीट परित्याग नियम :

(क) एम.डी./एम.एस. सीटों के अन्तर्गत राज्य कोटे से अथवा अखिल भारतीय कोटे से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा, कि वह स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात, दो वर्षों की कालावधि तक छ.ग. शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन कार्य करेगा। इस हेतु अनारक्षित अभ्यर्थियों को रु.50 लाख एवं आरक्षित अभ्यर्थियों को रु.40 लाख का बंध पत्र निष्पादित करना होगा।

(ख) यदि माननीय उच्चतम न्यायालय/केन्द्र शासन द्वारा इस शैक्षणिक वर्ष हेतु प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा प्रवेशित सीट से त्याग पत्र दिया जाता है, तो रु. 25 लाख (रु.पच्चीस लाख) अनारक्षित वर्ग हेतु एवं रु. 20 लाख (रु. बीस लाख) आरक्षित वर्ग हेतु अभ्यर्थी द्वारा शासन को देय होगा। विशेष परिस्थिति में यदि पाठ्यक्रम के दौरान कोई पूर्व में पात्र मेडिकली फिट छात्र यदि मेडिकली अनफिट (Medically Unfit) हो जाता है, जिसे राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सा पाठ्यक्रम हेतु अनफिट बताया जाता है, तो बंधपत्र (बॉण्ड) में छूट शासन द्वारा दिया जा सकेगा।

16. मिथ्या जानकारी देना अथवा मिथ्या दस्तावेज प्रस्तुत करना :- यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने किसी महाविद्यालय में मिथ्या जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रवेश लिया है, तो संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता द्वारा उसके अध्ययन काल के दौरान किसी भी समय बिना किसी सूचना के उसका प्रवेश रद्द किया जा सकेगा एवं उसके विरुद्ध मिथ्या जानकारी देने अथवा मिथ्या दस्तावेज देने संबंधित विधिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

17. प्रावीण्य सूची की समाप्ति एवं रिक्त सीटों का कालातीत होना : केन्द्र शासन या राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी प्रवेश हेतु, समय-सारणी अनुसार प्रवेश की अंतिम तिथि उपरान्त, प्रावीण्यता सूची समाप्त हो जायेगी एवं रिक्त सीटें कालातीत हो जायेंगी।
18. प्रवेश प्रक्रिया में उद्भूत किसी भी विवाद या शंका की स्थिति में, आयुक्त/संचालक चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन का निर्णय बंधनकारी होगा।
19. निरसन,— छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2021 एतद्वारा निरसित किये जाते हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, सचिव.

परिशिष्ट— एक

छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी हेतु प्रारूप

क्रमांक दिनांक.....
 प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....आत्मज/आत्मजा/पत्नी.....
निवासी.....तहसील..... जिला
छत्तीसगढ़ का वास्तविक निवासी है, क्योंकि वह निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक शर्त की पूर्ति करता है :

1. वह (व्यक्ति) छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है/हुई है ।
2. (क) वह (व्यक्ति)

अथवा

(ख) उसके पालकों में से कोई —

अथवा

- (ग) उसके पालकों में से यदि कोई जीवित न हो, तो उसका वैध अभिभावक (गार्जियन) छत्तीसगढ़ में निरंतर कम से कम 15 वर्ष से रह रहा है ।
3. उसके पालकों में से कोई भी —
 (क) राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है

अथवा

- (ख) केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत है,
4. (क) वह स्वयं (व्यक्ति)

अथवा

(ख) उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं।
 उपरोक्त शर्त के पूर्ति होने के पश्चात्, व्यक्ति, नीचे दिये गये कम से कम एक शर्त की पूर्ति भी करेगा :

5. उसने छत्तीसगढ़ राज्य अथवा अविभाजित मध्य-प्रदेश के जिलों में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में सम्मिलित है, में कम से कम 3 वर्ष तक अपनी शिक्षा प्राप्त की है।
6. उसने छत्तीसगढ़ के किसी भी शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों, अर्थात् :—
 (क) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या किसी शासकीय संगठन में सेवा के लिये अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक या उससे उच्चतर उपाधि निर्धारित हो, तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 8वीं कक्षा की परीक्षा।
 (ख) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या किसी शासकीय संगठन में सेवा के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटरमीडियट हायर सेकेण्डरी या कोई और समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो, तो आठवीं कक्षा की परीक्षा।
 (ग) अन्य मामलों में पांचवीं कक्षा की परीक्षा।

7. अन्य सभी मामलों के लिये उपरोक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित में से किसी श्रेणी के व्यक्ति भी छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी होंगे:
- (क) छत्तीसगढ़ राज्य को नियुक्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की पत्नी/पति अथवा संतान।
 - (ख) छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों की पत्नी/पति अथवा संतान।
 - (ग) छत्तीसगढ़ राज्य में संवैधानिक या अन्य विधिक पदों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पत्नी/पति अथवा संतान।
 - (घ) छत्तीसगढ़ राज्य के अधीन स्थापित संस्थाओं या निगम या मंडल या आयोग में पदस्थ पदाधिकारी/अधिकारी/कर्मचारी, उनकी पत्नी/पति अथवा संतान।

ऐसे बाबत, जो उपरोक्त मापदण्डों के अनुसार वास्तविक निवासी हैं, उसकी पत्नी/पति अथवा संतान भी, छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी माने जायेंगे।

प्राधिकृत अधिकारी के
हस्ताक्षर

पदनाम एवं सील

परिशिष्ट – दो

प्रारूप
राज्य मेडिकल बोर्ड प्रमाण-पत्र

छत्तीसगढ़ राज्य मेडिकल बोर्ड
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़

फोन नं.-0771-2234451, फ़ैक्स नं. 0771-2222212 E-mail : cgdme@rediffmail-com

क्रमांक /

/संचिशि / 2025

रायपुर, दिनांक /

प्रमाण पत्र

दो पासपोर्ट
साईज
फोटोग्राफ

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री, पिता- श्री,
उम्र-.....वर्ष (सत्यापित फोटोग्राफ) के आवेदन दिनांक.....पर दिनांक को आवेदक के पूर्ण
चिकित्सकीय परीक्षण उपरांत उनकी शारीरिक निःशक्ततापाई गई। उनकी कुल निःशक्तता
..... प्रतिशत है । जो कि मेडिकल/डेंटल/नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु एनएमसी द्वारा निर्धारित
नवीनतम मापदंड के अनुसार..... पाया गया।

पहचान का निशान-

(अध्यक्ष)
राज्य मेडिकल बोर्ड

(सदस्य)
राज्य मेडिकल बोर्ड

(सदस्य)
राज्य मेडिकल बोर्ड

छत्तीसगढ़ शासन के अधीन सेवा करने के प्रमाण-पत्र का प्रारूप "अ"

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा

सेवा प्रमाण-पत्र

अद्यतन
पासपोर्ट साइज
का संचालक
द्वारा
अभिप्रमाणित
रंगीन फोटो

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ.पिता/पति

ने दिनांकसे दिनांककी अवधि में कुलवर्ष.....माह तक

चिकित्सक/शिक्षक के रूप में इस संचालनालय के अधीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय

(दुर्गम अनुसूचित क्षेत्र/सामान्य अनुसूचित क्षेत्र/गैर अनुसूचित क्षेत्र)में निर्बाध सेवा प्रदान की है ।

उपरोक्तानुसार सेवा के लिये अभ्यर्थी को, जिनका नीट प्राप्तांकहै के, प्राप्तांक का लागू बोनसप्रतिशत % के, बोनस अंक (शब्दों में)..... है तथा अभ्यर्थी को उपरोक्त उल्लेखित सेवांक की पात्रता है ।

नोट : "सेवारत अभ्यर्थी" वे ही पात्र होंगे, जिन्होंने संचालनालय चिकित्सा शिक्षा के अधीन सेवारत चिकित्सक के रूप में परीक्षा वर्ष की नीट पीजी परीक्षा तिथि तक छ.ग. राज्य की शासकीय सेवा तदर्थ/संविदा/नियमित के 03 वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली हो, ऐसे सेवारत अभ्यर्थी ही बोनस अंक हेतु पात्र होंगे ।

संचालक
चिकित्सा शिक्षा

परिशिष्ट – चार

छत्तीसगढ़ शासन के अधीन सेवा करने के प्रमाण-पत्र का प्रारूप “ब”

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सेवा प्रमाण-पत्र

अद्यतन
पासपोर्ट साइज
का संचालक
द्वारा
अभिप्रमाणित
रंगीन फोटो

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ.पिता/पति.....ने
दिनांक.....से दिनांक.....की अवधि में कुलवर्ष.....
.....माह तक चिकित्सक के रूप में इस संचालनालय के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न क्षेत्रों में निर्बाध
सेवा प्रदान की है।

(क)विकासखंड.....जिला (दुर्गम अनुसूचित क्षेत्र/सामान्य अनुसूचित क्षेत्र/गैर अनुसूचित क्षेत्र).....वर्ष.....माह

(ख)विकासखंड.....जिला (दुर्गम अनुसूचित क्षेत्र/सामान्य अनुसूचित क्षेत्र/गैर अनुसूचित क्षेत्र).....वर्ष.....माह

(ग)विकासखंड.....जिला (दुर्गम अनुसूचित क्षेत्र/सामान्य अनुसूचित क्षेत्र/गैर अनुसूचित क्षेत्र).....वर्ष.....माह

(घ)विकासखंड.....जिला (दुर्गम अनुसूचित क्षेत्र/सामान्य अनुसूचित क्षेत्र/गैर अनुसूचित क्षेत्र).....वर्ष.....माह

उपरोक्तानुसार सेवा के लिये अभ्यर्थी को जिनका नीट प्राप्तंक
है, को प्राप्तंक का लागू बोनसप्रतिशत % के, बोनस अंक (शब्दों में)..
..... है तथा अभ्यर्थी को उपरोक्त उल्लेखित
सेवांक की पात्रता है।

नोट : वे “सेवारत अभ्यर्थी” ही पात्र होंगे, जिन्होंने संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के अधीन सेवारत चिकित्सक के
रूप में परीक्षा वर्ष की नीट पीजी परीक्षा तिथि तक छ.ग. राज्य की शासकीय सेवा तदर्थ/संविदा/नियमित
कें 03 वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली हो, ऐसे सेवारत अभ्यर्थी ही बोनस अंक हेतु पात्र होंगे।

संचालक

स्वास्थ्य सेवायें

परिशिष्ट- पाँच

(250/- के नॉनज्युडिशियल स्टाम्प – पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)

(छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा राज्य-
शासन के अधीन सेवा करने हेतु बंध पत्र (बाण्ड) का प्रारूप)

1. मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री..... निवासी.....
छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी हूँ । मेरा चयन एमडी/एमएस पाठ्यक्रम हेतु सामान्य/आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत हुआ है ।
2. यह कि मुझे वर्ष में आयोजित प्रवेश परीक्षा से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयमें शैक्षणिक सत्र में सीट आबंटित की गई है ।
3. मैं राज्य कोटे/अखिल भारतीय कोटे के सामान्य/आरक्षित श्रेणी का छात्र हूँ।
4. यह कि वर्ष की काउंसलिंग के पूर्व मैंने छत्तीसगढ़ शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की अधिसूचना क्रमांक.....रायपुर दिनांक छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के एमडी/एमएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश नियमों को पढ़कर भली भाँति समझ लिया है। उपरोक्त अधिसूचना की कंडिका जिसमें राज्य शासन के अधीन सेवा करने हेतु बन्ध पत्र निष्पादित करने संबंधित जानकारी दी गई है, जिसे मैंने भलीभाँति समझ लिया है एवं मैं उक्त नियम के सभी बिन्दुओं से सहमत हूँ ।
5. मैं एतद्वारा बन्धन पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करता/करती हूँ, कि मैं एमडी/एमएस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त, राज्य शासन के अधीन दो वर्षों की कालावधि तक अनिवार्य रूप से कार्य करूंगा/करूंगी।
6. यह कि इस बन्ध पत्र का उल्लंघन होने की दशा में, शासन को अधिकार होगा कि मेरी चल व अचल संपत्ति से अथवा इस बन्ध पत्र में मेरी प्रतिभूति के रूप में हस्ताक्षरकर्ता श्री..... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री.....निवासी.....की चल व अचल संपत्ति (संपत्ति का सम्पूर्ण विवरण) से इस बन्ध पत्र की राशि रुपयेशब्दों में (रूपए.....) कि वसूली व साथ ही पाठ्यक्रम अवधि के दौरान शासन द्वारा भुगतान की गई सम्पूर्ण छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति की सम्पूर्ण राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जायेगी।
7. जब तक पूरी राशि की वसूली नहीं हो जाती, तब तक मुझे अधिष्ठाता के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जायेगा।
8. अधिष्ठाता के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात्, मैं संचालक चिकित्सा शिक्षा को उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करूंगा/करूंगी, जिसकी अनुशंसा पर विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम डिग्री प्रदान की जायेगी व राज्य मेडिकल बोर्ड में स्नातकोत्तर योग्यता का स्थायी पंजीयन मुझे प्राप्त अंतिम डिग्री के आधार पर ही किया जायेगा।
9. एमडी/एमएस पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की सूचना, विश्वविद्यालय से प्राप्ति के बारह माह के भीतर यदि छ.ग. शासनके स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा नियुक्ति आदेश जारी नहीं होता है, तो यह बंधपत्र स्वमेव निरस्त समझा जावेगा।
10. यह कि मुझे ज्ञात है, कि विवाद की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।

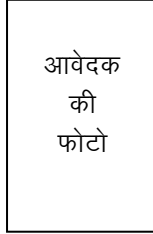
गवाह : —

हस्ताक्षर

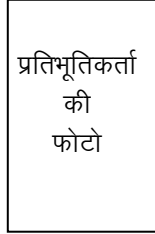
1.....हस्ताक्षर

आवेदक / निष्पादनकर्ता

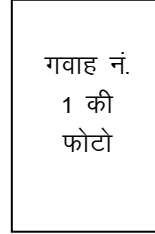
2.....हस्ताक्षर

आवेदक
की
फोटो

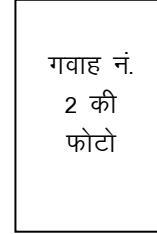
आवेदक

प्रतिभूतिकर्ता
की
फोटो

प्रतिभूतिकर्ता

गवाह नं.
1 की
फोटो

गवाह 01

गवाह नं.
2 की
फोटो

गवाह 02

प्रतिभूतिकर्ता

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....निवासी

उपरोक्तानुसार बन्ध पत्र के लिए प्रतिभूति तथा बन्ध पत्र के उल्लंघन की दशा में, बन्धपत्र में उल्लिखित राशि मेरी चल व अचल संपत्ति से वसूल की जा सकेगी।

हस्ताक्षर

प्रतिभूतिकर्ता (बिन्दु क्रमांक 05)

परिशिष्ट – छ:

(250/- के नानज्युडिशियल स्टाम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)

छत्तीसगढ़ के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप

मेरा पुत्र/पुत्रीआत्मज/आत्मजा श्री.....
निवासी..... छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालयमें स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एम.डी./एम.एस.) में प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थी हूं।

1. मैंने छत्तीसगढ़ शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना क्रमांक
..... दिनांक " छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम - " एवं
"निर्देशिका" में निहित प्रावधानों को भली-भांति पढ़कर समझ लिया है।

2. मेरा पुत्र/पुत्री राज्य कोटे की सामान्य/आरक्षित श्रेणी का छात्र/छात्रा है।

3. मैं एतद् द्वारा यह शपथ पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करता हूँ कि :-

"यदि मेरे पुत्र/पुत्री के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय/राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान
आयोग(NMC)/चिकित्सा परामर्श समिति (MCC)द्वारा इस शैक्षणिक वर्ष हेतु प्रवेश की निर्धारित अंतिम
तिथि के उपरान्त शिक्षण सत्र हेतु एम.डी./एम.एस. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की प्रवेशित सीट
का परित्याग किया जाता है तो, मेरे द्वारा रु. 25 लाख (रु. पच्चीस लाख) अनारक्षित वर्ग हेतु एवं रु.
20 लाख (रु. बीस लाख) आरक्षित वर्ग हेतु शासन को अभ्यर्थी द्वारा देय होगा "

पता

फोन नं.

अभिभावक

अभिभावक
का
फोटो

अभिभावक

प्रतिभूतिकर्ता
का
फोटो

प्रतिभूतिकर्ता

हस्ताक्षर

प्रतिभूतिकर्ता

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....निवासी

उपरोक्तानुसार शपथ पत्र के उल्लंघन की दशा में शपथ पत्र में उल्लेखित राशि मेरे द्वारा प्रदाय की जायेगी।

गवाह : -

1.....

2.....

प्रतिभूतिकर्ता

गवाह नं.
01 का
फोटो

1. गवाह

गवाह नं.
02 का
फोटो

2. गवाह

हस्ताक्षर

नाम :

पता :

.....

परिशिष्ट – सात

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थायी जाति प्रमाण पत्र ।

परिशिष्ट— आठ

अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी की लागू आय सीमा से ज्यादा आय है किन्तु शासन के नियमानुसार किसी प्रकार की छूट या रियायत का पात्र है तो, उस छूट रियायत प्राप्ति हेतु अभ्यर्थी को सक्षम कार्यालय अथवा आयोग से छूट बाबत प्रमाण पत्र (छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में) प्रस्तुत करना होगा ।

परिशिष्ट – नौ

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में EWS प्रमाण पत्र ।

छत्तीसगढ़ शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग रायपुर,
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर-492002

छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश
विवरणिका 2025

Digitally signed by
SHIKHA RAJPUT TIWARI
Date: 11-11-2025
18:18:30

चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम विवरणिका 2025

- 1.1 छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में उपलब्ध चिकित्सा स्नातकोत्तर की कुल प्रवेश सीटों की संख्या का 50 प्रतिशत सीट संख्या संस्थावार अखिल भारतीय कोटा हेतु संस्था द्वारा प्रेषित किया जाता है तथा जिन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु नियमानुसार अतिरिक्त सीटें वृद्धि की गई हैं, उक्त संस्था में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु कुल प्रवेश सीटों की संख्या का 10 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराया जाता है।
- 1.2 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) No. 689 of 2017 के आदेश एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर दिनांक 03 जुलाई 2017 अधिसूचना क्रमांक एफ 21-10/2017/नौ/55-4 के अनुसार सभी निजी चिकित्सा महाविद्यालय में कुल उपलब्ध स्नातकोत्तर सीटों का 15 प्रतिशत अप्रवासी भारतीय नियतांश में उपलब्ध कराया जाता है।
- 1.3 उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1.1 एवं 1.2 के आरक्षण उपरांत छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम 2025 में उल्लेखित आरक्षण प्रतिशत अनुसार श्रेणीवार एवं संवर्गवार आरक्षण दिया जाता है।
- 1.4 केन्द्र शासन/राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग/भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा निर्धारित समय-सारणी अनुसार चिकित्सा स्नातकोत्तर काउंसिलिंग प्रक्रिया की जाती है।
- 2.1 काउंसिलिंग संबंधित सभी सूचनाएँ वेबसाइट www.cgdmie.in में प्रदर्शित की जायेंगी। अतः सभी संबंधित उक्त वेबसाइट का नियमित अवलोकन करें।
- 2.2 सभी आवेदक चिकित्सा स्नातकोत्तर नियम 2025 को पढ़कर ही काउंसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित हों।
- 2.3 आवेदन एवं शुल्क :- प्रवेश वर्ष की NEET PG में श्रेणीवार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों हेतु काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिए केवल एक बार ऑनलाईन आवेदन, आवेदन शुल्क सहित उपलब्ध होगा। जिस हेतु ऑनलाईन आवेदन शुल्क भुगतान निम्न तालिकानुसार :-

क्रमांक	विवरण	आवेदन शुल्क (रुपये)
1.	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की सीट हेतु	रु. 2000/-
2.	निजी चिकित्सा महाविद्यालय की सीट हेतु	(रुपये दो हजार)
3.	अप्रवासी भारतीय (एन0आर0आई0) सीट हेतु	रु. 10000/-
		(रुपये दस हजार)

ऑन-लाइन आवेदन की प्रक्रिया काउंसिलिंग के प्रत्येक चरण में उपलब्ध होगी।

- 2.4 भारत के राजपत्र भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिसूचना नई दिल्ली 05 अप्रैल 2018 सं.भा.आ.प. -18(1)/2018-मेड./100818 के अनुसार रजिस्ट्रेशन फीस शासकीय संस्था की सीटों हेतु रु0 पच्चीस हजार (आरक्षित श्रेणी हेतु रु0 बारह हजार पांच सौ) एवं निजी संस्था की सीटों हेतु रजिस्ट्रेशन फीस रु0 दो लाख लागू होगी तथा जो द्वितीय चरण एवं आगामी चरणों में आवंटन के पश्चात् प्रवेश नहीं लेने पर नियमानुसार राजसात कर ली जायेगी। (नोट : केन्द्र शासन द्वारा जारी निर्देश समयावधि में प्राप्त होने पर यथावत लागू होंगे)

Digitally signed by
SHIKHA RAJPUT TIWARI
Date: 11-11-2025
18:21:52

- 2.5 बिन्दु क्रमांक 2.3 के अनुसार आवेदकों में सेवारत अभ्यर्थी के बोनस अंक को जोड़कर प्रावीण्य सूची निर्मित की जायेगी तथा प्रावीण्य सूची एवं आवेदकों के संस्था चयन प्राथमिकता क्रम अनुरूप प्रावीण्यतानुसार ऑनलाईन आवंटन दिया जायेगा।
- 2.6 काउंसिलिंग की प्रक्रिया चार चरणों में ऑनलाईन रूप से की जाएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि से पूर्व यदि सीटें रिक्त रह जाती हैं तो काउंसिलिंग के चरणों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। सभी चरणों की काउंसिलिंग ऑनलाईन रूप से की जाएगी। प्रत्येक चरण में पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध रहेगी। प्रत्येक चरण में आवंटित अभ्यर्थी को पात्रता संबंधी दस्तावेजों की संवीक्षा करवाना अनिवार्य होगा। संवीक्षा में अपात्र पाये जाने या अनुपस्थित होने पर अभ्यर्थी आगामी चरणों की काउंसिलिंग से स्वतः ही बाहर हो जायेगा।

काउंसिलिंग या आवंटन प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी विषय एवं संस्था की सीट अभ्यर्थी को एक बार आवंटन होने के पश्चात् पुनः उसी संस्था में समान विषय की सीट आवंटित नहीं की जायेगी।

- (क) प्रथम चरण की काउंसिलिंग में संस्था चयन एवं आवंटन के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश लेने या न लेने का विकल्प होगा। प्रवेशित अभ्यर्थी को द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में अपग्रेड करने का विकल्प उपलब्ध होगा।
- (ख) द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में पूर्व से प्रवेशित, अप्रवेशित एवं नवीन पंजीकृत अभ्यर्थी पात्र होंगे। द्वितीय चरण में आवंटन के उपरांत प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। प्रवेश न लेने वाले अभ्यर्थी का सुरक्षा राशि (रजिस्ट्रेशन शुल्क) राजसात कर लिया जाएगा। किन्तु वह मॉपअप राउण्ड (तृतीय चरण) की काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए पात्र रहेंगे।
- (ग) तृतीय चरण (Mop-up Round) की काउंसिलिंग में सभी अप्रवेशित अभ्यर्थी एवं नवीन पंजीकृत अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे। तृतीय चरण में आवंटन के उपरांत प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। प्रवेश न लेने वाले अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन शुल्क राजसात कर लिया जाएगा एवं वह चतुर्थ चरण (स्ट्रे वैकेन्सी) हेतु अपात्र हो जाएंगे।
- (घ) चतुर्थ चरण (स्ट्रे वैकेन्सी) के लिए केवल अनावंटित अभ्यर्थी एवं नवीन पंजीकृत अभ्यर्थी पात्र होंगे। चतुर्थ चरण के आवंटन के उपरांत अभ्यर्थी को प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। प्रवेश न लेने पर रजिस्ट्रेशन शुल्क राजसात कर लिया जाएगा एवं अभ्यर्थी आगामी चरण (यदि संपन्न हो तो) एवं आगामी वर्ष की काउंसिलिंग के लिए अपात्र हो जाएगा। काउंसिलिंग के प्रत्येक चरण की विस्तृत जानकारी CGDME के वेबसाइट पर उपलब्ध की जाएगी।

- 2.7 **तृतीय चरण की काउंसिलिंग में आवंटन उपरांत सीटों का अंतरण** – किसी भी संवर्ग की सीट रिक्त होने पर प्रथमतः उसे उसी मूल श्रेणी की बिना संवर्ग की सीटों में परिवर्तित किया जा सकेगा। तद्-उपरान्त यदि श्रेणी में भी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा जारी राजपत्र 2012 के अनुसार श्रेणी परिवर्तन किया जा सकेगा।

यदि EWS की आरक्षित सीटें EWS के अभ्यर्थी के अभाव अथवा स्नातकोत्तर विषय की सीटें विकल्प न चाहने के कारण रिक्त रहती हैं तो, उन्हें अनारक्षित सीटों में परिवर्तित किया जा सकेगा।

- 2.8 **संवीक्षा में आवश्यक दस्तावेज सूची :-** अभ्यर्थी को जिस कोटे एवं श्रेणी/संवर्ग की सीट आवंटित की गयी है उसके अनुसार संवीक्षा (स्कूटनी) में केवल मूल दस्तावेजों की जांच की जाती है एवं जिस अभ्यर्थी को किसी विशेष आरक्षण का लाभ प्राप्त करना हो, तो उक्त दस्तावेज स्वयं प्रस्तुत करना उसकी जिम्मेदारी होगी। संवीक्षा के लिए उपस्थित होने की तिथि से एक दिवस पूर्व तक जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य होंगे, किन्तु दिव्यांग संवर्ग के अभ्यर्थियों पर यह बाध्यता लागू नहीं होगी। कोई भी स्कूटनी अधिकारी अन्य दस्तावेजों के आधार पर उन्हें योग्य करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। (स्पष्टीकरण : जैसे किसी अभ्यर्थी का जन्म छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ है तथा उनके पिता छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय कर्मचारी हैं और अभ्यर्थी ने कक्षा 01 से 12वीं तक छत्तीसगढ़ राज्य

मौसी, मौसी की संतान, बुआ, बुआ की संतान, नाना, नानी, दादा, दादी से रिश्ता) इस हेतु वंशावली वृक्ष प्रमाण पत्र जो कि अभ्यर्थी के निवासरत जिला तहसीलदार कार्यालय या उससे उच्च अधिकारी कार्यालय के द्वारा जारी किया गया हो। एन.आर.ई. प्रायोजक हेतु समस्त दस्तावेज स्वयं प्रायोजक के ही होना अनिवार्य होगा।

(2) विदेश में निवास का प्रमाण हेतु वहाँ का ग्रीन कार्ड/कॉपी ऑफ पासपोर्ट वैध वीसा सहित/नागरिकता संबंधित सक्षम दस्तावेज/181 दिन अथवा अधिक का कार्य प्रमाण हेतु दस्तावेज/अन्य कोई सक्षम दस्तावेज जो इस बिन्दु की पूर्ति करता हो।

(3) OCI (Overseas citizen of India) अभ्यर्थी भी सामान्य श्रेणी की NRI सीटों के लिए पात्र होंगे. इस हेतु अभ्यर्थी को OCI (Overseas citizen of India) होने का प्रमाण पत्र/कार्ड प्रस्तुत करना होगा। (माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा W.P.C. 891 of 2021 dated 03-02-2023 में दिये गये निर्देशों के अनुसार)

(4) एन.आर.ई./एन.आर.आई./समकक्ष बैंक एकाउण्ट की बैंक द्वारा सत्यापित स्टेटमेंट कॉपी।

(5) जीवित वर्क परमिट जो कि न्यूनतम 181 दिन अथवा अधिक का हो/ग्रीन कार्डधारी की कॉपी जो कि बिन्दु क्र. 02 के अनुसार पूर्ति करता हो।

(6) प्रायोजक की आय, सम्बंधित पाठ्यक्रम के शुल्क देने योग्य हो तथा शुल्क का भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जाना होगा। भुगतान की रसीद या संबंधित निजी चिकित्सा महाविद्यालय की बैंक एकाउण्ट की बैंक द्वारा सत्यापित स्टेटमेंट कॉपी प्रवेश पूर्ण होने के 07 दिवस के भीतर के आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।

(अतिरिक्त जानकारी हेतु NMC द्वारा जारी नोटिस क्रमांक U-12021/11/2025-MEC दिनांक 24-10-2025 का अवलोकन करें।)

नोट :- स्कूटनी की प्रक्रिया में स्कूटनी अधिकारी आवश्यक मूल दस्तावेजों की स्कूटनी करते हैं किसी नियम के तहत किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता तय नहीं करते हैं। अपनी पात्रता हेतु दस्तावेज प्रस्तुत करने की पूर्णतः जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होती है।

2.9 सभी पी0जी0 प्रवेशित मेडिकल छात्रों को छत्तीसगढ़ राज्य की छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद में पंजीयन कराना आवश्यक होगा।

प्रवेश उपरान्त एक माह की समय सीमा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद में पंजीकृत चिकित्सक होने हेतु आवेदन तथा वांछित शुल्क जमा करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

2.10 महाविद्यालय में प्रवेश के दिनांक से डिग्री हेतु तीन वर्ष की कालावधि के लिए पूर्णकालिक होंगे। अभ्यर्थी को सम्पूर्ण अध्ययनकाल में निजी प्रैक्टिस, अंशकालिक नौकरी या कोई अन्य नौकरी करने की अनुज्ञा अमान्य होगी।

2.11 छात्रों को शैक्षणिक सत्र की कालावधि में अवकाश की पात्रता एन.एम.सी. के मापदण्डों के अनुसार होगी।

2.12 चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के नियमित अभ्यर्थी यदि अनाधिकृत रूप से लगातार 30 दिवस या उससे अधिक अनुपस्थित रहते हैं तो पाठ्यक्रम से निष्कासित किया जा सकेगा।

Digitally signed by
SHIKHA RAJPUT TIWARI
Date: 11-11-2025
18:20:08

सेवारत अभ्यर्थियों को उपरोक्त उल्लेखित अवधि में अनाधिकृत अवकाश उपरान्त पाठ्यक्रम निष्कासन सहित छत्तीसगढ़ शासन के संबंधित नियम के तहत कार्यवाही की जायेगी।

निष्कासित अभ्यर्थियों द्वारा नियमानुसार बंध पत्र की राशि का भुगतान भी किया जाना होगा।

2.13

पाठ्यक्रम पूर्ण करने उपरान्त सेवारत अभ्यर्थियों की विभाग में वापसी – पीजी डिग्री पाठ्यक्रम के लिए सामान्य अवधि 36 माह है पाठ्यक्रम/अध्ययन अवधि पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा में उनकी प्रास्थिति पर विचार किए बिना पैतृक विभाग में वापस जाना होगा, भले ही वे परीक्षा में उत्तीर्ण हुये हों अथवा नहीं। किसी भी परिस्थिति में अध्ययन जारी रखने का कार्यकाल बढ़ाया नहीं जाएगा। प्रसूति अवकाश की अवधि के बराबर की अवधि का प्रशिक्षण अतिरिक्त रूप से प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किन्तु यदि पूर्व में प्रसूति अवकाश में स्टापपण्ड का भुगतान किया जा चुका तो इस अवधि के लिये कोई स्टापपण्ड अथवा वेतन आदि देय नहीं होगा।

Digitally signed by
SHIKHA RAJPUT TIWARI

Date: 11-11-2025

18:19:38

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा

छत्तीसगढ़

NEET - PG MD/MS COUNSELLING TENTATIVE SCHEDULE - 2025
Chhattisgarh State Quota

<i>S.No.</i>	<i>Online Registration / Fee payment</i>	<i>Choice filling / Locking</i>	<i>Merit List publication</i>	<i>Seat allotment Process</i>	<i>Result publication</i>	<i>Scrutiny Process (at Institute)</i>	<i>Admission Process (at Institute)</i>
Round -1							
1	13/11/2025 to 18/11/2025	The rest of the schedule will be shared later.					
	06 days						

* Only as per server time.



आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड
नई दिल्ली
NATIONAL BOARD OF EXAMINATIONS
IN MEDICAL SCIENCES
NEW DELHI

परीक्षा गोपनीय विभाग

दिनांक: 19 अगस्त 2025

सूचना

विषय: नीट-पीजी 2025 का परिणाम घोषित

1. 2025-26 प्रवेश सत्र के विभिन्न एमडी/एमएस/डीएनबी/डीआरएनबी (डाइरेक्ट 6 वर्षीय पाठ्यक्रम)/पीजी मेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए **3 अगस्त 2025** को नीट-पीजी 2025 आयोजित की गई थी।
2. नीट-पीजी 2025 का परिणाम, जिसमें उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक और उनकी नीट-पीजी 2025 रैंक दर्शाई गई है, घोषित कर दिया गया है और इसे एनबीईएमएस की वेबसाइट <https://natboard.edu.in> पर देखा जा सकता है।

नीट-पीजी 2025 का परिणाम देखने के लिए यहां क्लिक करें।

3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 30.05.2025 के डब्ल्यू.पी. संख्या 456/2025 के मामले में दिये गए आदेश के अनुसरण में, नीट-पीजी 2025 एक ही पाली में आयोजित की गई थी। तदनुसार, नीट-पीजी 2025 के सूचना बुलेटिन में वर्णित अंकों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया, परिणाम तैयार करने में लागू नहीं की गई है। इसलिए सूचना बुलेटिन को तदनुसार पढ़ा जाना चाहिए।
4. **नीट-पीजी 2025 रैंक:** यह नीट-पीजी 2025 में उपस्थित सभी उम्मीदवारों के बीच उम्मीदवार की समग्र योग्यता स्थिति है।
5. नीट-पीजी 2025 के सूचना बुलेटिन में उल्लिखित एमडी/एमएस/डीएनबी/डीआरएनबी (डाइरेक्ट 6 वर्षीय पाठ्यक्रम)/पीजी मेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता/पात्रता मानदंड के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों के लिए कट-ऑफ स्कोर इस प्रकार हैं:

Category	Minimum Qualifying/ Eligibility Criteria	Cut-Off Scores (Out of 800)
General/EWS	50 th percentile	276
General PwBD	45 th percentile	255
SC/ST/OBC (Including PwBD of SC/ST/OBC)	40 th percentile	235

Digitally signed by VINAY GUPTA
Date: 2025-08-19 17:31+05:30

6. नीट-पीजी 2025 के प्रश्नपत्र में पूछे गए प्रत्येक प्रश्न की नीट-पीजी 2025 के आयोजन के बाद संबंधित विशेषज्ञता क्षेत्र के संकाय सदस्यों द्वारा समीक्षा की गई ताकि प्रश्नों और उत्तर कुंजियों की तकनीकी शुद्धता की पुनः जाँच की जा सके। कोई भी प्रश्न तकनीकी रूप से गलत नहीं पाया गया।
7. अखिल भारतीय 50% कोटा सीटों के लिए मेरिट सूची अलग से घोषित की जाएगी। राज्य कोटा सीटों के लिए अंतिम मेरिट सूची/श्रेणीवार मेरिट सूची राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उनकी योग्यता/पात्रता मानदंडों, लागू दिशानिर्देशों/नियमों और आरक्षण नीति के अनुसार तैयार की जाएगी।
8. नीट-पीजी 2025 में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के व्यक्तिगत स्कोरकार्ड **29.08.2025** को/उसके बाद एनबीईएमएस वेबसाइट <https://natboard.edu.in> से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

स्कोर कार्ड केवल 6 महीने की अवधि के लिए डाउनलोड के लिए उपलब्ध रहेगा।

9. उम्मीदवारी पूर्णतः अनंतिम है, बशर्ते कि नीट-पीजी 2025 सूचना बुलेटिन में उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा किया जाए।
10. सभी एमबीबीएस व्यावसायिक परीक्षाओं में प्राप्त कुल अंक (प्रतिशत में)/एफएमजीई में प्राप्त अंक, जैसा कि उम्मीदवार ने अपने नीट-पीजी 2025 आवेदन पत्र में दिया है, प्रवेश के समय काउंसलिंग/प्रवेश प्राधिकारी द्वारा मूल प्रमाण-पत्रों से सत्यापित किए जाएंगे। उम्मीदवारों को जारी किए जाने वाले स्कोर कार्ड में, जहाँ भी ऐसे कुल अंकों का उपयोग नीट-पीजी 2025 रैंक के बराबर अंक को हल करने के लिए किया गया है, उम्मीदवारों द्वारा अपने आवेदन पत्र में दिए गए एमबीबीएस/एफएमजीई के कुल अंकों का उल्लेख होगा।

यदि यह पाया जाता है कि नीट-पीजी 2025 आवेदन पत्र में दी गई जानकारी गलत है और संबंधित उम्मीदवार के बराबर अंक को हल करने के लिए इस मानदंड का उपयोग किया गया है, तो नीट-पीजी 2025 के लिए उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
11. यदि किसी भी स्तर पर, उम्मीदवारों को परीक्षा में किसी भी अनुचित साधन का उपयोग करते हुए पाया जाता है, तो ऐसे उम्मीदवार एनबीईएमएस/एमसीसी/परामर्श प्राधिकारी द्वारा उचित समझी जाने वाली दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को नीट-पीजी 2025 में सफल घोषित किया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों के परिणाम/उम्मीदवारिता रद्द कर दी जाएगी और/या रद्द मानी जाएगी।
12. किसी भी प्रश्न के लिए, कृपया एनबीईएमएस से 011-45593000 पर संपर्क करें या एनबीईएमएस को इसके कम्प्यूनिकेशन वेब पोर्टल <https://exam.natboard.edu.in/communication.php?page=main> पर लिखें।



NBEMS

Digitally signed by VINAY GUPTA
Date: 2025-08-19 17:32+05:30



आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड
नई दिल्ली
NATIONAL BOARD OF EXAMINATIONS
IN MEDICAL SCIENCES
NEW DELHI
Department of Examinations Confidential

Date: 19th August 2025

NOTICE

Subject: Result of NEET-PG 2025 Declared

1. NEET-PG 2025 was conducted on **3rd August 2025** for admission to various MD/MS/DNB/DrNB (Direct 6 Years Courses)/PG Medical Diploma Courses of 2025-26 admission session.
2. The result of NEET-PG 2025 indicating the score obtained by the candidates and their NEET-PG 2025 Rank has been declared and can be seen at NBEMS website <https://natboard.edu.in>

[Click here to view the result of NEET-PG 2025](https://natboard.edu.in)

3. Pursuant to the directions of the Hon'ble Supreme Court vide orders dated 30.05.2025 in W.P. No. 456/2025, the NEET-PG 2025 was conducted in a single shift. Accordingly, process of normalization of scores, as detailed in the Information Bulletin of NEET-PG 2025, has not been applied in generation of result. The information bulletin should therefore be read accordingly.
4. **NEET-PG 2025 Rank:** This is the overall merit position of the candidate amongst all the candidates who have appeared in the NEET-PG 2025.
5. In accordance with the minimum qualifying/eligibility criteria for admission to MD/MS/DNB/DrNB (Direct 6 Years Courses)/PG Medical Diploma Courses as mentioned in the Information Bulletin for NEET-PG 2025, the cut-off scores for various categories are as follows:

Category	Minimum Qualifying/ Eligibility Criteria	Cut-Off Scores (Out of 800)
General/EWS	50 th percentile	276
General PwBD	45 th percentile	255
SC/ST/OBC (Including PwBD of SC/ST/OBC)	40 th percentile	235

Digitally signed by VINAY GUPTA
Date: 2025-08-19 17:32+05:30

6. Each and every question asked in question paper of NEET-PG 2025 was reviewed by faculty members from the concerned specialty area after the conduct of NEET-PG 2025 to re-check for technical correctness of the questions as well as answer keys. None of the questions have been found technically incorrect.
7. The merit position for All India 50% Quota seats shall be declared separately. The final merit list/category wise merit list for State Quota seats shall be generated by the States/UT as per their qualifying/eligibility criteria, applicable guidelines/Regulations & reservation policy.
8. Individual scorecard of the candidates who appeared in NEET-PG 2025 can be downloaded from the NBEMS website <https://natboard.edu.in> on/after **29.08.2025**

Score card shall be available for download only for a period of 6 months.

9. Candidature is purely provisional subject to fulfillment of eligibility criteria as mentioned in NEET-PG 2025 Information Bulletin.
10. The aggregate marks (in percentage) in all MBBS Professional Examinations/marks obtained in FMGE as provided by the candidate in his/her NEET-PG 2025 application form shall be verified against the original credentials at the time of admission by the counseling/ admitting authority. Score Cards issued to candidates shall have a mention of the MBBS/FMGE Aggregate marks as provided by the candidates in their application form wherever such aggregate marks have been used to break the tie of NEET-PG 2025 Rank.

In an event it is noted that the information provided in the NEET-PG 2025 application form is incorrect and this criterion has been utilized to resolve the tie of the concerned candidate, his/her candidature for NEET-PG 2025 shall be cancelled.

11. If at any stage, candidates are found to have resorted to use of any unfair means in the exam, such candidates shall be liable for penal action as deemed appropriate by NBEMS/MCC/Counseling authority. In the event of any such candidates being declared successful in the NEET-PG 2025, the results/candidature of such candidates shall be cancelled and/or are deemed to be cancelled.
12. For any queries, please contact NBEMS at 011-45593000 or write to NBEMS at its Communication Web Portal <https://exam.natboard.edu.in/communication.php?page=main>



NBEMS

Digitally signed by VINAY GUPTA
Date: 2025-08-19 17:32+05:30